

# बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण

## *Bihar Local Area Development Agency*

विभिन्न प्रकार की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ विशेषकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य स्थानीय योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता लाने के लिए तथा सुगमता के लिए **बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण** के गठन एवं नियमावली के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अभिकरण पर योजना एवं विकास विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है।

अभिकरण का मुख्य कार्यालय पटना, बिहार में है। जो आवश्यकतानुसार राज्य के अंदर या बाहर एक अथवा अनेक शाखाएँ स्थापित कर सकेगी। अभिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है।

### लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

1. विभिन्न प्रकार के स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ खासकर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं का परिरूप तैयार करने, प्राक्कलन निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
2. योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आवश्यकतानुसार मॉडल परिरूप तथा प्राक्कलन का निर्माण।
3. विभिन्न बसावटों, गाँवों, पंचायतों, प्रखण्डों, जिलों तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों का स्थानीय क्षेत्र योजना का निर्माण।
4. समुचित अनुश्रवण हेतु प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण।
5. मानचित्र तथा योजना पर आधारित भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली का निर्माण।
6. सरकार के निदेश के आलोक में जिलों की विकास योजनाओं का प्राक्कलन बनाने तथा उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।
7. संस्था की निधि का आहरण, वितरण एवं प्रबंध करना।
8. राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।
9. राज्य सरकार द्वारा पारित विकास योजनाओं का देखरेख एवं निरीक्षण करना या स्वतंत्र मानीटर से निरीक्षण कराने की व्यवस्था करना।

10. पूर्णता की समय-सीमा, तकनीकी विशिष्टिकरण, योजनाओं का मूल्यांकन, परियोजना समीक्षा तथा गुणवत्ता नियंत्रण की विधियों द्वारा विकास योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करना।
11. जिलों तथा राज्य के सर्वर/कम्प्यूटर से संबद्ध कम्प्यूटर से जुड़े ऑनलाईन प्रबंध तथा अनुश्रवण प्रणाली के कार्यों का समन्वय करना।
12. अभिकरण द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं की प्रगति का प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराना।
13. व्यक्ति तथा अभिकरण/गैर सरकारी संस्था के विकास कार्यों का कार्यान्वयन करना।
14. विकास तथा संरचनात्मक कार्यों के आदेशों को प्राप्त करने के लिए निविदा में भाग लेना।
15. अभियांत्रिकी सामग्री परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा संचालन।
16. प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन सहित अनुसंधान कार्य।
17. विभिन्न तकनीकों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना तथा ऐसे प्रायोगिक परियोजना को लेना जिसमें विभिन्न तकनीकें सम्मिलित हो।
18. संस्थाओं, देशीय तथा अंतर्देशीय अन्य ख्याति प्राप्त अभिकरण या समूह के साथ सरकारी विकास कार्यक्रम के संबंध में सहयोग करना।
19. विभिन्न विकास कार्यक्रमों के योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबद्ध कर्मियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करना।
20. संरचना श्रमजीवी, संविदाकार, अभियंता, संरचना प्रबंधक तथा अन्य सादृश्य कार्मिक से संबद्ध प्रशिक्षण/दक्षता विकास के लिए संस्था खोलना तथा उसका संचालन करना।
21. विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा लागत-मानक को बेहतर करने के उपायों पर सुझाव देना।
22. पुस्तकें, साहित्य का प्रकाशन करना, विज्ञापन सामग्री (मुद्रण, श्रव्य एवं दृश्य) के उत्पादन का प्रबंध करना।
23. कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शन के द्वारा स्थानीय क्षेत्र योजना पुनर्संरचना या इस तरह के अन्य संबंधित मामलों का प्रबंध करना तथा प्रायोजित करना।
24. उपकरण तथा यंत्र (वाहन सहित) का क्रय, पट्टा पर या भाड़े पर लेना।
25. राज्य तथा केन्द्र सरकार से अनुदान के माध्यम से निधि प्राप्त करना तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से अभिदान प्राप्त करना।

26. शिक्षा, स्वास्थ्य, रीलीफ, आपदा प्रबंधन, नारी सशक्तिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन।
27. समाज में वैज्ञानिक सोच, प्राविधिक दक्षता, सृजनात्मकता तथा नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का संचालन।
28. सरकार की पूर्वानुमति से अचल सम्पत्ति का क्रय, अधिग्रहण या पट्टा के माध्यम से अधिग्रहित करना या बिक्री या पट्टा या वंधक के माध्यम से हस्तांतरित करना।
29. समय-समय पर राज्य सरकार से निदेशित गतिविधियों का संचालन करना।
30. उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियों का संचालन करना।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी— श्री जे. के. पी. सिंह

मोबाइल नं.—9430809425